कमिश्नर वाणिज्य कर, उ-ार प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती अमृता सोनी, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अधिशासी अभियन्ताÐनिर्माण खण्ड(विद्युत/यांत्रिक) उ0प्र0 जल निगम, बी-3 जल निगम कालोनी गांधीनगर, बरेली।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**008 / 19, 30.01.2019**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अन्दलीप तिवारी, विद्वान अधिवक्ता।**
टिन नं0	09407500247

उ-ार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी **सर्वश्री अधिशासी अभियन्ता¡ निर्माण खण्ड¡(विद्युत/यांत्रिक) उ0प्र0 जल निगम, बी-3 जल निगम कालोनी गांधीनगर , बरेली** द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 008/19 दिनांक 30.01.2019 को उ-ार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

(A) Whether Uttar Pradesh Jal Nigam is a Contractor within the purview of Uttar Pradesh Value Added Tax, Act, 2007?

(B) Whether work executed by the U.P. Jal Nigam for the departments can be deemed as Work Contract within the purview of Uttar Pradesh Value Added Tax, Act, 2007?

(C) Whether transfer of tube well after construction to the local body or other department can be deemed sale within the purview of Uttar Pradesh Value Added Tax, Act, 2007?

(D) Whether there will be Tax liability under the U.P. Value Added Tax Act upon the Uttar Pradesh Jal Nigam when it is performing its statutory functions?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु दिनांक 30-04-2019 को श्री अन्दलीप तिवारी, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. एड़ीशनल कमिश्नर,ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली से पत्र संख्या-284, दिनांक 04.02.2019 द्वारा आख्या मॉगी गई । एड़ीशनल कमिश्नर,ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली के पत्र संख्या-2462, दिनांक 16.03.2019 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उपरोक्त संदर्भ में ज्वा0कमि0 (कार्यपालक) वाणिज्य कर, बरेली संभाग बी, बरेली से पत्र सं0 2116/ 13.03.2019 से आख्या प्राप्त हुई है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-59 का प्रार्थनापत्र कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के संबंध में प्रस्तुत किया गया **है** । "**प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के पैरा 6 में जिन 4 प्रश्नों के उत्तर मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत चाहे गये हैं वह भी वर्ष 2008-09 के वाद से ही संबंधित है। प्रश्नगत वाद मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 32 वाद के रुप में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन है। यह भी अंकित किया गया है**

.....2

कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-59 (1) में उल्लिखित है कि यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के किसी भी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इससे स्पष्ट है कि अगर कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है, तब इस स्थिति में धारा 59 के अंतर्गत विवादग्रस्त प्रश्न का विनिश्चय नहीं किया जा सकता एवं व्यापारी द्वारा धारा-59 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ग्राह्य न होना बताया गया है। उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट है कि चूंकि उक्त मामला मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के धारा 32 वाद के रुप में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन है अत: उक्त बिन्दु पर धारा-59 के अंतर्गत विवादग्रस्त प्रश्न का विनिश्चय नहीं किये जा सकने के कारण धारा-59 का प्रर्थना पत्र ग्राह्य नही है। अत: व्यापारी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की जाती है।"

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना पत्र, पत्रावली तथा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन बरेली की प्राप्त आख्या आदि का अवलोकन किया गया, पाया गया कि फर्म का कर निर्धारण स्तर पर मामला चल रहा है। वैट अधिनियम की धारा-59 में यह प्रावधान है कि यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तभी धारा-59 का प्रावधान लागू होता है। अत: व्यापारी का धारा-59 का प्रार्थना पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर अनिर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 10, मई, 2019

ह0/ 10.05.2019

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।